मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग, मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 15/12/2017

कमांक एफ 3-39/2017/26-2: प्रदेश में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर,अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीयदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधन अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास, के उद्देश्य से निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 संचालित है ।

2. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में विभाग के आदेश कमांक/ एफ-3-8/2016/26-2,दिनांक03/09/2017 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है ।

3. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ सरलता से प्रदाय करने हेतु जिस जिले में सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह का आयोजन किया जाता है और कोई दंपत्ति निःशक्तज विवाह योजना के लाभ का हकदार है तो भले ही वह किसी अन्य जिले का निवासी हो तो जिस जिला कलेक्टर के क्षेत्र में सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, उस जिले के कलेक्टर उस दंपत्ति को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के साथ-साथ निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार राशि की स्वीकृति जिले में उपलब्ध निराश्रित निधि की ब्याज राशि से स्वीकृत कर संबंधित कन्या/दंपत्ति के खाते में अंतरित करायेगें भले ही निःशक्त दम्पति किसी अन्य जिले के निवासी हो ।

4. निःशक्त दंपत्ति के मूल निवास का स्थान जहां उसका स्थाई पता, भवन परिसम्पत्ति, भूमि आदि की पूष्टि विवाह आयोजन के 15 दिवस पूर्व किये जाने हेतु संबंधित संभाग/जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को अधिकृत किया जाता है । शेष व्यवस्था पूर्व में समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार रहेगी ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील रहेगें ।

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ 3-39/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 15/12/2017

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राजमंत्री, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, संचालनालय, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,मध्यप्रदेश ।
6. संचालक, जनसंपर्क, संचालनालय,मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,मध्यप्रदेश ।
8. गार्ड-फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, विभाग

18 DEC 2017
1645
18/12/17
447
19.12.17